

क्रम संख्या-326 (क-5)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3,

संख्या: 941(1)/चौबीस-पी-3-2009

लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2009

- अधिसूचना -

प0आ0-854

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम-7(2) एवं नियम-46 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-1436 पी-3/98-24-47-पी-91, दिनांक 29 जून, 1998 का अतिक्रमण करते हुये विद्युत ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करने, विद्युत सुपरवाइजर्स की सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा वायरमैनो को परमिट प्रदान करने की, शर्तों में अधिसूचना संख्या 1313-ई0 एल0-67/23-पी0 बी0-84, ई0एल0ए0-58, दिनांक: 8 जून, 1967 के साथ पठित अधिसूचना संख्या- 1135-ई0एल0-67/23 -पी0बी0-94, ई0एल0ए0-56, दिनांक 11 मई, 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी और इस अधिसूचना के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

: संशोधन :

1. अधिसूचना संख्या 1135-ई0एल0/23-पी0बी0-94-ई0एल0ए0-58, दिनांक 11 मई, 1967 की शर्त-10 की उपशर्तों (1), (2), (3), (4) तथा (7) के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिये जाये:-

	उपशर्त 1, 2, 3, 4 तथा 7 जैसा कि वे शासकीय अधिसूचना संख्या-1436- पी0-3/98-24-47 -पी-91,दिनांक 29 जून,1998 में विद्यमान हैं।		उप-शर्त 1, 2, 3, 4 तथा 7 जैसा कि वे संशोधित की गईं ।	
1.	ठेकेदार के परिसर आदि के निरीक्षण के लिए शुल्क चाहे ऐसा निरीक्षण प्रारम्भिक अनुवर्ती, वार्षिक हो या ठेकेदार की प्रार्थना पर किया जाए....	रूपया 150=00	1. ठेकेदार के परिसर आदि के निरीक्षण के लिए शुल्क चाहे ऐसा निरीक्षण प्रारम्भिक अनुवर्ती, वार्षिक हो या ठेकेदार की प्रार्थना पर किया जाए...	रूपया 150=00

2.	लाइसेंस शुल्क	रूपया 750=00	2.	लाइसेंस शुल्क	रूपया 2000=00
3.	नवीनीकरण शुल्क	रूपया 225=00	3.	नवीनीकरण शुल्क	रूपया 500=00
4.	विलम्ब शुल्क	रूपया 75=00	4.	विलम्ब शुल्क	रूपया 300=00
7.	लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिये	रूपया 75=00	7.	लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिये	रूपया 300=00

2. अधिसूचना संख्या-1313-ई0एल0-67/23-पी0बी0-94/ई0एल0-58, दिनांक 08 जून, 1967 की शर्त-12 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जाये:-

शर्त-12 जैसा कि शासकीय अधिसूचना संख्या-1436 पी0-3/98-24-47-पी-91, दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है।		शर्त-12 जैसा कि संशोधित की गई	
12. इन शर्तों के अधीन निम्नलिखित फीस ली जायेगी:-		12. इन शर्तों के अधीन निम्नलिखित फीस ली जायेगी:-	
प्रमाण पत्र जारी करने के लिये फीस:- -	रूपया 180=00	प्रमाण पत्र जारी करने के लिये फीस:-	रूपया 400=00
परमिट जारी करने के लिये फीस:-	रूपया 180=00	परमिट जारी करने के लिये फीस:-	रूपया 400=00
प्रमाण-पत्र या परमिट की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने के लिए फीस:-	रूपया 75=00	प्रमाण-पत्र या परमिट की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने के लिए फीस:-	रूपया 200=00
नवीनीकरण फीस (यदि आवेदन, प्रमाण- पत्र या परमिट की अवधि समाप्त होने के पहले दिया जाये-		नवीनीकरण फीस (यदि आवेदन, प्रमाण- पत्र या परमिट की अवधि समाप्त होने के पहले दिया जाये-	
(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 180=00	(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 400=00
(ख) परमिट	रूपया 180=00	(ख) परमिट	रूपया 400=00
विलम्ब फीस		विलम्ब फीस	
(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 45=00	(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 200=00
(ख) परमिट	रूपया 30=00	(ख) परमिट	रूपया 100=00

शर्त-12 जैसा कि शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है।		शर्त-12 जैसा कि संशोधित की गई	
आवेदन पत्र की फीस		आवेदन पत्र की फीस	
(क) सुपरवाइजरों की परीक्षा के लिये या सुपरवाइजरों की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिये -	रूपया 45=00	(क) सुपरवाइजरों की परीक्षा के लिये या सुपरवाइजरों की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिये -	रूपया 300=00
(ख) वायरमैनो की परीक्षा के लिये या वायरमैनो की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिए-	रूपया 30=00	(ख) वायरमैनो की परीक्षा के लिये या वायरमैनो की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिए-	रूपया 200=00

शर्त-12 जैसा कि शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है।		शर्त-12 जैसा कि संशोधित की गई।	
परीक्षा फीस		परीक्षा फीस	
(क) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा मौखिक तथा व्यवहारिक:	रूपया 90=00	(क) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा मौखिक तथा व्यवहारिक:	रूपया 300=00
(ख) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा(लिखित):-	रूपया 60=00	(ख) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा(लिखित):-	रूपया 300=00
(ग) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (मौखिक तथा व्यवहारिक):-	रूपया 60=00	(ग) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (मौखिक तथा व्यवहारिक):-	रूपया 300=00
(घ) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित):-	रूपया 30=00	(घ) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित):-	रूपया 300=00
(ड.) वायरमैन परीक्षा:-	रूपया 30=00	(ड.) वायरमैन परीक्षा:-	रूपया 200=00

3. अधिसूचना संख्या-1135 ई0एल0/23-पी0बी0-94-ई0एल0ए0-58, दिनांक 11 मई, 1967 की शर्त-15 की टिप्पणी में अर्थदण्ड निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जाये:-

शर्त-15 की टिप्पणी-जैसा कि शासकीय अधिसूचना, दिनांक 11 मई, 1967 में विद्यमान है।		शर्त-15 की टिप्पणी जैसा कि संशोधित की गई:-	
अर्थ दण्ड अधिकतम रूपया	रूपया 50=00	अर्थ दण्ड अधिकतम रूपया	रूपया

टिप्पणी:-

(1)- सभी फीस का भुगतान शीर्षक-''0043- विद्युत कर तथा शुल्क, (102)- भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस'' के अधीन राज्य के कोषागारों या उप कोषागारों में भुगतान किया जायेगा।

(2)- ट्रेजरी चालान के फार्म, जिनमें लेखाशीर्षक मुद्रित रहेगा, निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय, उप निदेशकों के क्षेत्रीय कार्यालयों, सहायक निदेशकों के परिक्षेत्रीय (जोनल) कार्यालयों, विद्युत सप्लाई उपक्रमों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रभागीय या उप प्रभागीय कार्यालयों तथा कलेक्टरियों से प्राप्त किये जा सकते हैं। ट्रेजरी चालान के इन फार्मों में निदेशालय (डायरेक्ट्रेट) द्वारा कोई पृष्ठांकन करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें समुचित रूप से भर कर तथा ऐसी उपशीर्षकों को, जो ट्रेजरी चालान में भले ही मुद्रित हों, किन्तु लागू न हों, काट देने के बाद सीधे जमा करने के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्तांकित (रिसीटेड) ट्रेजरी चालान निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रेषित किया जाना चाहिये। भुगतान किसी भी दशा में नकदी करेंसी नोटों में या मनीआर्डर के जरिये न किया जाय।

(3)- अभ्यर्थियों को अपना यह समाधान अवश्य कर लेना चाहिये कि जिस प्रयोजन के लिये फीस जमा की जा रही है, उसके लिये पात्र हैं क्योंकि किसी भी हालत में आवेदन-फीसों की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
(नवनीत सहगल)
सचिव।

क्रम संख्या-326 (क-6)

सरकारी गजट,

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3,

संख्या: 941(1)/चौबीस-पी-3-2009

लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2009

- अधिसूचना -

प0आ0-855

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के नियम-7(2) एवं नियम-46 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-1434-पी-3/98-24-47 पी-91, दिनांक 29 जून, 1998 का अतिक्रमण करते हुये "ग" श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विद्युत ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करने, की शर्तों की अधिसूचना संख्या 1404-ई0एल0सी0-75-23-पी0-4, दिनांक: 10 जून, 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शर्त-5 में किये गये निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी और इस अधिसूचना के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

संशोधन

शर्त- 5 जैसा कि वे शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है।		जैसा कि वे संशोधित की गई ।	
1. ठेकेदार के परिसर आदि वे निरीक्षण के लिए चाहे ऐसा निरीक्षण प्रारम्भिक,	रूपया 90=00	1. ठेकेदार के परिसर आदि वे निरीक्षण के लिए चाहे ऐसा निरीक्षण प्रारम्भिक,	रूपया 300=00

अनुवर्ती, वार्षिक हो या ठेकेदार की प्रार्थना पर किया जाए....		अनुवर्ती, वार्षिक हो या ठेकेदार की प्रार्थना पर किया जाए....	
--	--	--	--

शर्त- 5 जैसा कि वे शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है।		जैसा कि वे संशोधित की गई ।	
2. लाइसेंस शुल्क	रूपया 375=00	2. लाइसेंस शुल्क	रूपया 1000=00
3. नवीनीकरण शुल्क	रूपया 90=00	3. नवीनीकरण शुल्क	रूपया 200=00
4. विलम्ब शुल्क	रूपया 45=00	4. विलम्ब शुल्क	रूपया 150=00
5. विवाद के निपटारे के लिये शुल्क	रूपया 150=00	5. विवाद के निपटारे के लिये शुल्क	रूपया 500=00
6. अपील करने के लिये शुल्क	रूपया 75=00	6. अपील करने के लिये शुल्क	रूपया 250=00
7. लाइसेंस की द्वितीय प्रतिलिपि के लिये शुल्क	रूपया 75=00	7. लाइसेंस की द्वितीय प्रतिलिपि के लिये शुल्क	रूपया 250=00

टिप्पणी:-

सभी शुल्कों का अग्रिम भुगतान उन्हें स्टेट बैंक आफ इण्डिया या सरकारी कोषागार में शीर्षक:- "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-102-भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस" के अन्तर्गत जमा करके लिया जायेगा।

	आज्ञा से, (नवनीत सहगल) सचिव,
--	------------------------------------

प्रपत्र-डब्लू-बी

(शर्त संख्या- 4 तथा 6 देखिये)

वायरमैन का परमिट प्रदान किये जाने के लिये आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम:
(स्पष्ट शब्दों में)
2. पिता का नाम:
3. जाति:
- 4.(अ) डाक का पूरा पता:
5. जन्म दिनांक:
6. प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हतायें:
7. आवेदन पत्र की 210 रू० की फीस का ट्रेजरी चालान संख्या-.....दिनांक

द्वारा ट्रेजरी में भुगतान कर दिया गया है ।

एतद्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये ब्योरे सही हैं । ऊपर उल्लिखित ट्रेजरी चालान के साथ दो फोटोग्राफ और स्तम्भ 6 में दिये गये विवरण की पुष्टि मेंमूल शील पत्र तथा उनकी प्रतिलिपि एतद्वारा संलग्न की जाती है।

निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में:-

(1).....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(2).....

आवेदन पत्र पर किसी मजिस्ट्रेट अथवा किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेवा योजक की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना है तथा इसमें सभी ब्यौरों का लाजमी तौर पर पूरा दिया जाना जरूरी है। यदि ऐसा न होगा तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

आवश्यक: किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जो अपने लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये प्रमाण पत्र या परमिट प्राप्त करने के प्रयोजन से झूठा व्यपदेशन (Representation) करेगा या ऐसा करने में सहायता देगा।

वायरमैन का परमिट प्रदान किये जाने के लिये प्रार्थना

वायरमैन का परमिट किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है:-

1. जिसने गवर्नमेंट पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा से वायरमैन का पाठ्यक्रम (कोर्स) पास किया हो, या
2. जिसने चौबे गुरुनारायण टेक्निकल स्कूल मानिकपुर, जिला-इटावा से इलेक्ट्रिकल वायरमैन का एक वर्ष का पाठ्यक्रम (कोर्स) किया हो, या
3. जिसने विद्युत संस्थान कार्य में 6 महीने का व्यवहारिक, अनुभव प्राप्त करने के बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद (Board of Technical Education) उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित द्विवर्षीय विद्युत सुपरवाइजर परीक्षा पास की हो, या
4. जिसने भारत सरकार के श्रममंत्रालय द्वारा जारी किया गया वायरमैन और लाइनमैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या
5. जिसने अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अधीन वायरमैन/इलेक्ट्रिशियन का आखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (All India Trade Test) पूरी की हो तथा उसमें अर्हता प्राप्त की हो ।
6. जो उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा वायरमैन के रूप में कार्य करने के लिये अर्हत (Qualified) समझा जाये ।

-: अनुदेश :-

1. आवेदन पत्र निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पास भेजा जायेगा कि वह उनके पास निर्धारित तिथि से पूर्व पहुंच जाये और उसमें निम्नलिखित संलग्न होने चाहिये:-

(क) किसी ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्राविधिक अर्हतायें दी गई हुई हों और जो किसी वृत्तिग्राही (Stipendiary) मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रूप में प्रमाणित हों ।

(ख) भुगतान की पुष्टि में ट्रेजरी चालान लेखा शीर्षक- '0043-बिजली पर कर और शुल्क, 102-भारतीय विजली नियमों के अन्तर्गत फीस' के अधीन जमा किया जाना चाहिये ।

(ग) फोटोग्राफ के बिना माउन्ट वाली दो प्रतियां (4से0मी0 x 6से0मी0) जो प्रार्थना पत्र के दिनांक से 6 मास से अधिक पहले की न हो तथा जिन पर नाम लिखा हुआ हो और जिनमे से एक सामने की ओर और दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी वृत्तिग्राही (Stipendiary) मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों ।

(घ) नमूना हस्ताक्षर की दो प्रतियां जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित

यथोचित रूप में प्रमाणित हो।

(ड) उस संस्था के मुख्य शैक्षिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र जहां आवेदक ने आखिर में अध्ययन किया हो।

(च) सेवायोजक यदि कोई हो, से चरित्र प्रमाण पत्र।

(छ) आयु सूचक प्रमाण पत्र।

2. ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जो किसी प्रकार भी अपूर्ण हो अथवा निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त हुआ हो।

3. चयन का परिणाम आवेदक के उस पते से भेज दिया जायेगा जो उसने अपने आवेदन पत्र में दिया हो इस सम्भावना से बचने के लिये कि चयन का परिणाम यदि गलत जगह पहुंच जाये या उसके पहुंचने में विलम्ब हो जाये यह सलाह दी जाती है कि अपना पता लिखा हुआ तथा टिकट लगा हुआ एक लिफाफा आवेदन पत्र के साथ भेजें और यदि पते में कोई परिवर्तन किया जाये तो उसे अध्यक्ष को अविलम्ब सूचित किया जाये।

4. उसे कदापि 18 वर्ष के कम आयु का नहीं होना चाहिये और यदि उसने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उसे किसी रजिस्टर्ड डाक्टर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा कि वह शारीरिक कार्य करने में समर्थ है।

ला0अनु0/प्रपत्र-3

प्रपत्र-'ड'

प्रमाण पत्र /परमिट के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम:.....
(स्पष्ट शब्दों में)

2.पिता का नाम:.....

3.जाति:.....

4. डाक का पूरा पता:.....

5.जन्म तिथि:.....

6. प्रमाण पत्र परमिट:

(1.) संख्या:

(2.) जारी करने का दिनांक:

7.(क) चालान की संख्या.....दिनांक.....

(ख) कोषागार ट्रेजरी का नाम:.....

मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये विवरण सही है, दो प्रमाणित फोटोग्राफ (एक सामने की ओर और दूसरा पृष्ठ भाग पर) ट्रेजरी चालान तथा मेरे सेवायोजक द्वारा दिये गये सेवा के मूल प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किये जाते हैं।

8. जारी किये जाने का नवीकरण किये जाने के अन्तिम दिनांक से अब तक की सेवा या अनुभव के विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में :-

(1).....

(2).....

नोट:-

1. प्रमाण पत्र परमिट का नवीनीकरण शुल्क के 180 रूपये उत्तर प्रदेश के किसी कोषागार में निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करके चालान की प्राप्तांकित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें:-

लेखा शीर्षक - '0043-बिजली पर कर और शुल्क,

102-भारतीय विजली नियमों के अन्तर्गत फीस“

2. यदि प्रमाण पत्र/ परमिट उसकी अवधि समाप्त होने के बाद किन्तु ऐसे दिनांक के एक वर्ष के भीतर नवीकरण के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो निम्न दर पर विलम्ब शुल्क भी देय होगा किन्तु अवधि समाप्त होने के दिनांक के एक वर्ष बाद किसी भी प्रमाण पत्र या परमिट का नवीकरण नहीं किया जायेगा ।

प्रमाण पत्र - 45.00 रूपया ।

परमिट - 30.00 रूपया ।

3. प्रमाण पत्र/परमिट के नवीकरण के लिये प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक विद्युत सुरक्षा को यह समाधान हो जाये कि गृहीता ने वास्तव में प्रमाण पत्र या परमिट के देय रहने की अवधि के दौरान कम से कम दो वर्ष तथा स्थिति विद्युत संस्थापन कार्य पर्यवेक्षण सम्पादन के सम्बन्ध में विद्युत के लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार, विद्युत सप्लाई, लाइसेंसधारी या स्वीकृत रजिस्टर्ड फैक्ट्री या ऐसी संस्था जिसे सरकारी द्वारा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम-45 से मुक्त किया गया हो या किसी सरकारी विभाग के साथ काम किया हो अतएव प्रमाण पत्र/परमिट की वैधता की अवधि में जिन स्थानों में कार्य किया हो उसके प्रमाण पत्र संलग्न करे।

4. आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम चित्र भेंजें जिसमें से एक के सामने तथा दूसरे के पृष्ठ भाग में अपना नाम लिख कर किसी राजपत्रित अधिकारी या आपके सेवायोजक से अभिप्रमाणित किया हो ।

5. एक सादे कागज पर नमूने के दो हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कराके भेंजें ।

6. यदि आवेदक ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो किसी रजिस्टर्ड डाक्टर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आप शारीरिक कार्य करने में समर्थ हैं।

ल0 अनु0 / प्रपत्र /18
इलेक्ट्रिकल कान्ट्रैक्टर्स लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

1- (अ) प्रार्थी का नाम-----

(स्पष्ट अक्षरों में)

(ब) प्रार्थी की आयु-----

--

2- पिता का नाम-----

3- घर का पूरा पता-----

4- दुकान का पूरा पता-----

5- प्रार्थी के फर्म का जिसके लिए लाइसेन्स प्राप्त करना है-----

6- साझेदारों के नाम, प्रत्येक की आयु व पिता का नाम व पूरा पता-----

--

(1)-----

-

(2)-----

-

(3)-----

-

(4)-----

-

7- प्रार्थी का दुकान से सम्बन्ध-----

--

8- यदि प्रार्थी अथवा साझेदारों के नाम या फर्म के नाम से पहले कभी इलेक्ट्रिकल लाइसेन्स था तो उसका विवरण दें तथा बतलाएं कि वह लाइसेन्स इस समय जारी है अथवा रद्द हो गया है। यदि रद्द हो गया है तो

रद्द होने का कारण भी बतलाइये-----

9- प्रार्थी की नौकरी में जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हो उसका नाम, सर्टीफिकेट नम्बर तथा सर्टीफिकेट के मान्यता अवधि (नियुक्ति/स्वीकार-पत्र संलग्न करें) -----

अवधि (नियुक्ति/स्वीकार-पत्र संलग्न करें) -----

10- प्रार्थी की नौकरी में जो वायरमैन हो, उनके नाम परमिट नम्बर तथा प्रत्येक परमिट मान्यता की - अवधि (नियुक्ति/स्वीकार-पत्र संलग्न करें)

(1) -----

(2) -----

11- प्रार्थी अथवा दुकान द्वारा सामान्यता रखे जाने वाले इलेक्ट्रिकल स्टॉक का अनुमानित मूल्य-----

12- प्रार्थी के परीक्षण यंत्रों का पूरा विवरण (कैशमेमों की छाया प्रति संलग्न करें)

(1) -----

(2) -----

(3) -----

(4) -----

(5) -----

13- ट्रेजरी चालान का नम्बर व दिनांक जिसके द्वारा दुकान के निरीक्षण एवं लाइसेंस के लिए 900/- रुपये शुल्क का भुगतान किया गया। (कुल चालान आवेदन-पत्र के साथ भेजे) -----

14- लाइसेन्स की श्रेणी जो प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है-----

(“क”, “ख” अथवा “ग”)

मैं/हम-----एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतया सत्य है तथा मैंने/हमने जानते हुए कोई गलत सूचना नहीं दी है। मैंने/हमने शासकीय विज्ञप्ति सं० 1135-ई०/एल०/22पी० बी०-96-ई० एल० ए०-58, दिनांक 11 मई, 1967 के सभी नियमों का पूर्णतया अध्ययन कर लिया है। जिनके अंतर्गत इस लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है और मैं/हम आश्वासन दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि सभी नियमों का अनुपालन/करूँगा/करेंगे।

प्रार्थी एवं साझीदारों के हस्ताक्षर(1)------(2) -----

मोहर (सील) सहित (1) ------(2) -----

नोट-

- (1) यदि प्रकाश में आने पर कोई गलत सूचना पाई गई तो लाइसेन्स रद्द कर दिया जाएगा।
- (2) धारा 10 के नीचे नोट के अनुसार जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जा सकता।
- (3) शुल्क जमा करने का लेखा शीर्षक “0043-बिजली कर तथा शुल्क”।

“102--भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस”

प्रपत्र “ज”

बिजली के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अर्द्धवार्षिक परिलेख

लाइसेन्स की संख्या-----

ठेकेदार का नाम -----

पता -----


मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि दूसरी ओर उल्लिखित विवरण सही है और यह कि मैं/हम उन शर्तों को भली-भांति समझता हूँ/समझते हैं कि जिसके अधीन किसी ठेकेदार को लाइसेन्स प्रदान किया जाता है और उनके उल्लंघन के फलस्वरूप लाइसेन्स का निलम्बन या रद्द किया जाना सम्भावित है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

		प्राविधिक कर्मचारी वर्ग			निम्नलिखित का दिनांक		कर्मशाला के आपरेटर्स और परीक्षण सामग्री का विवरण			
क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र सं०	वायरमैन की परमिट संख्या	अप्रेन्टिस	सेवायोजन	सेवामुक्ति	निर्माता का नाम	संख्या	वोल्टता	अद्यावधिक भंडार का मूल्य

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नियुक्ति पत्र/स्वीकार पत्र



मैं.....या घोषणा करता हूं कि मेरे पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट/वायरमैन का परमिट संख्या.....है (छायाप्रति संलग्न) और यह दिनांकतक मान्य (Valid) है और मैंने सर्वश्री.....के यहां पूर्ण रूप से (Whole time) के लिये दिनांकसे नौकरी कर ली है और इसके अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं।

मैंने सर्वश्री जिनके यहाँ मैं पहले से नौकर था, दिनांक से नौकरी छोड़ दी है।

प्रति हस्ताक्षरकर्ता

सत्यापित किया

वायरमैन/सुपरवाइजरके हस्ताक्षर

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

नाम व पता सहित

मुहर

(निरीक्षणकर्ता का पूरा नाम व पद नाम)

.....
.....
.....

नोट:- सुपरवाइजर/वायरमैनो के स्वीकृति पत्र उसी की या ठेकेदार की हस्तलिपि में भरें जायें और हस्ताक्षर के साथ तिथि भी अंकित करायी जाय।